

सार्वजनिक सूचना

Letter /Bpannoli

नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर के अधीन निम्न शुल्कों की वसूली हेतु शीलबन्द निविदा दो लिफाफा प्रणाली (प्रथम तकनीकी एवं द्वितीय लिफाफा वित्तीय) के तहत शीलबन्द निविदायें उल्लिखित शर्तों के अधीन दिनांक- 24.6.2019.....को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा इसी तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता उपस्थित रह सकता है। निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक- 22.6.2019को कार्यालय समय तक बेची जायेगी। निविदा से सम्बन्धित अन्य शर्तें टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की गई हैं। साथ ही जनपद की वेबसाइट <http://chamoli.nic.in> में नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत देखा जा सकता है:-

| क्र०स० | शुल्क का विवरण | अवधि | निविदा शुल्क | जमानत राशि |
|--------|---|------------------|--------------|------------|
| 1 | पार्किंग शुल्क | 01 जुलाई 2019 से | | |
| | 1-गोपेश्वर क्षेत्र (नया बस अड्डा/ मुख्य बस अड्डा) | 31 मार्च 2020 तक | 1000.00 | 20000.00 |
| | 2-नैग्वाड क्षेत्र | --- | 200.00 | 5000.00 |
| | 3-चमोली क्षेत्र | --- | 500.00 | 10000.00 |
| | 4-हल्दापानी पार्किंग | --- | 200.00 | 5000.00 |
| 2 | तहबजारी शुल्क | --- | 500.00 | 10000.00 |
| 3 | बधशाला शुल्क | --- | 500.00 | 5000.00 |
| 4 | नगर बस | --- | 500.00 | 5000.00 |

शर्तः-1-सर्वोच्च निविदा ही स्वीकार की जायेगी। तथा जमानत धनराशि अधि०अधि० के नाम बन्धक होनी आवश्यक है। एक व्यक्ति केवल एक ही निविदा दे सकता है।

1. निविदादाता को हैसियत प्रमाण-पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र, आधार नम्बर, पेन नम्बर जो सक्षम अधिकारी से जारी हो लगाना आवश्यक है।
2. जिस निविदादाता के नाम निविदा स्वीकृत होगी को पालिका की मांग के अनुसार निविदा धनराशि का 1/4 धनराशि जमा करनी होगी। उसके पश्चात ही वसूली आदेश निर्गत किया जायेगा।
3. यदि सर्वोच्च निविदादाता द्वारा पालिका मांग अनुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो जमानत जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय निविदादाता को अवसर प्रदान किया जायेगा तब कि द्वितीय निविदादाता की जमानत आरक्षित रखी जायेगी।
4. स्वीकृत निविदा की धनराशि का 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क जमा करना होगा।
5. सशर्त निविदा मान्य न होगा।
6. ओवर राइटिंग/काट छोट वाली निविदा मान्य न होगी।
7. निविदादाता को पार्किंग शुल्क/तहबजारी शुल्क/बधशाला शुल्क उपविधि एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
8. पालिका से लिया गया आवेदन पत्र ही मान्य होगा।
9. पार्किंग स्थलों एवं अन्य शुल्कों पर किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
10. अनुबन्ध करते समय तीन रिक्त बैंक (ब्लैंक बैंक) देने आवश्यक है।
11. पालिका द्वारा अल्प दिवसों में शासकीय कार्यों हेतु पार्किंग अधिग्रहीत करने पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। निविदादाता को इस पर कोई एतराज नहीं होगा यदि शासकीय कार्य एक सप्ताह से अधिक अवधि तक चला तो प्रतिदिन की मांग का 1/2 आधा भाग पर ही छूट पर विचार किया जायेगा। शासकीय कार्य के अवाला अन्य गतिविधि के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
12. दिनांक-31 मई 2019 तक का पालिका बकायादार निविदा में भाग नहीं ज सकता है।

अधिशारी अधिकारी

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर।

संख्या- 701 /5-उपनियम/2017-18/दिनांक 07 जून 2019

प्रतिलिपि-1-संवाददाता.....दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त सूचना को न्यूनतम दर पर प्रकाशित करवाकर प्रकाशित सूचनामय बिल सहित प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

1. पालिका सूचना पट्ट।
2. जिलाधिकारी चमोली।
3. एन०आई०सी० जनपद चमोली।

अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
चमोली-गोपेश्वर।